बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योo4 / मु.क्षे.वि.यो.–44 / 2013–5690 यो.वि.,दिनांक 05 दिसम्बर,2014

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव

सेवा में,

सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना
प्रबंध निदेशक,
नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना,
विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन योजना के कार्यान्वयन हेतु मानक प्राक्कलन के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 4387 दिनांक 23.09.2014

महाशय,

कृपया उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। इसके द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रेषित विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर के मानक प्राक्कलन के अनुसार अंशदान की राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति देने में हो रही कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। किन्तु मानक प्रांक्कलन के आधार पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा राज्य सरकार के अंशदान की कितनी राशि या किस अनुपात में होगी, से संबंधित मार्गदर्शन अब तक अप्राप्त है। फलस्वरूप जिलों में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है तथा तत्संबंधी स्मार प्राप्त हो रहे हैं।

अतः पुनः अनुरोध है कि वांछित मार्गदर्शन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

4/12/2014

(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः योo4 / मु.क्षे.वि.यो.–44 / 2013–5690 / यो.वि.,दिनांक 05 दिसम्बर,2014

प्रतिलिपिः विभागीय आई0टी0 मैनेजर को ई–मेल / विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/12/2014

सचिव,
योजना एवं विकास विभाग